प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 21.9.04 में उपस्थितिः–

हस्ताक्षर

1. आयुक्त/अध्यक्ष – डा० सुभाष कुमार –
2. सचिव आवास – डा० एस० एस० सन्धू –
3. जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष – श्रीमती मनीषा पंवार –
4. मुख्य नगर अधिकारी – श्री एन० के० जोशी – 21.IX.04
5. अपर सचिव वित्त – श्री के०सी० मिश्रा –
6. प्रभारी अधिकारी ~~[illegible]~~ नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग – श्री बृज बी० रतन –
7. अधिशासी अभियन्ता जल निगम प्रति निधि. मुख्य अभियन्ता, जल निगम. – श्री म [illegible] –
8. सचिव MDDA – श्री विक्रम सिंह नेगी – 21/9/[illegible]

...य मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून

(टिप्पणी एवं आदेश)

...ध्यक्ष(जिलाधिकारी) / आयुक्त एवं अध्यक्ष,

कृपया मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 62वीं बैठक दिनांक 21.9.2004 को सम्पन्न हुई । बोर्ड बैठक की ...वाही तैयार कर आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

(विक्रम सिंह नेगी)
सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून ।

अनुमोदनार्थ

DM / V.C.
21/9/04

...क यथोपरि

यथा संशोधित अनुमोदित
1/10/04

(124)

62 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.9.04

आज दिनांक 21.9.2004 को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 62 वी बोर्ड बैठक मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें सदस्यों एवं अधिकारियों की उपस्थिति निम्नानुसार रही:–

1. श्री सुभाष कुमार, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल	अध्यक्ष
2. डा0एस0एस0संधू, सचिव आवास, उत्तरांचल शासन	पदेन सदस्य
3. श्रीमती मनीषा पंवार, जिलाधिकारी,देहरादून	उपाध्यक्ष
4. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम देहरादून	पदेन सदस्य
5. श्री के0सी0 मिश्रा, अपर सचिव वित्त, उत्तरांचल शासन	प्रतिनिधि सदस्य
6. श्री बृज बी0 रतन, प्रभारी अधिकारी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन	पदेन सदस्य
7. अधीक्षण अभियंता, उत्तरांचल पेयजल निगम देहरादून	प्रतिनिधि सदस्य

अन्य उपस्थिति:–

1. सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारम्भ की गयी तथा सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया।

एजेन्डा में प्रस्तुत बिन्दुओं पर निम्नानुसार विचार किया गया :–

विषय क्रमांक क :– नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग उत्तरांचल द्वारा प्रस्तुत मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत देहरादून विकास क्षेत्र की महायोजना प्रारूप–2031 पर प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों द्वारा विचार– विमर्श किया जाना।

प्रभारी अधिकारी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा प्रस्तुत महायोजना प्रारूप–2031 पर विचार–विमर्श पूर्ण नहीं हो पाया। चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर ली जाये, जिसके निम्नलिखित सदस्य होगे।

1.उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण।
2.सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण।
3.मुख्य नगर नियोजक उत्तरांचल।

समिति निम्न बिन्दुओं पर अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी।

1. महायोजना को 30 वर्ष के लिए बनाया जाना क्या आवश्यक है तथा क्या इसे 10 एवं 20 वर्ष के लिए किया जाना उचित रहेगा या नहीं ?
2. जो सुझाव अभी तक लोगों से प्राप्त हुए है, उन सुझावों का कया परीक्षण किया गया है तथा महायोजना में इसका समावेश है या नहीं ?

(कार्यवाही प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग)

विषय क्रमांक ख (1) :– प्राधिकरण बोर्ड की 61 वीं बैठक की कार्यवाही एवं अनुपालन आख्या का अनुमोदन तथा परिचालन के माध्यम से पारित बोर्ड प्रस्तावों का विवरण व अनुपालन

निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की 61 वी बैठक की कार्यवाही एवं अनुपालन की समीक्षा आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत की जाय।

विषय क्रमांक ख (2) :– दून एजुकेशनल ट्रस्ट सोसाइटी द्वारा सचिव श्री राजेश कुमार तिवारी (निम्बस एकेडमी आफ मैनेजमेंट) द्वारा प्रस्तुत मानचित्र संख्या 2785/03–04 के सम्बन्ध में।

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया है कि इस तरह के अन्य प्रकरण यदि प्राधिकरण द्वारा पूर्व में स्वीकृत किये गये हो तो इस मानचित्र का भी तकनीकी परीक्षण करके उन्हीं के अनुरूप स्वीकृति की

कार्यवाही कर दी जाय अन्यथा आवेदक से आवश्यक क्षेत्रफल की पूर्ति सुनिश्चित कराने की कार्यवाही की जाय। इसके अतिरिक्त भविष्य में ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु शासन से अनुरोध किया जाय कि आवास विभाग शिक्षा विभाग से विचार विमर्श कर आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत करनें का कष्ट करें।

(कार्यवाही श्री अजय माथुर अवर अभियंता)

विषय कमांकः–ख (3) रोकपा चेरीटेबिल सोसायटी द्वारा सहस्त्रधारा रोड पर ग्राम तरला नागल में प्रस्तुत भवन मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में बोर्ड के समक्ष निम्न बिन्दुओं को विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गयाः–

1. जोनिंग रेगुलेशन में कृषि भू–उपयोग में Uses Permissible if allowed by Development authority द्वारा Social Welfare and Culture Institute अनुमन्य किया जा सकता है, जबकि आर–3 आवासीय क्षेत्र में उक्त प्रस्ताव इस प्रयोजनार्थ Uses Permitted के अन्तर्गत आता है।
2. महायोजना में निम्न भू–उपयोग से उच्च भू–उपयोग परिवर्तन के लिये शुल्कों के निर्धारण शासनादेश सं01858/श0वि0/आ0–03–135 (आ0)/03 दिनांक 24 जुलाई 2003 के अनुसार कृषि एवं उधान से सामुदायिक सुविधायें हेतु 20 प्रतिशत भू–परिवर्तन शुल्क लिये जाने पर निर्णयार्थ।
3. स्थल खुले क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है चूंकि स्थल का प्रयोग अनाथ बच्चों की पढ़ाई व असहाय बृद्धों के लिये आश्रय दिये जाने से सम्बन्धित है।

उक्त बिन्दुओं पर वार्ता के दौरान निर्णय लिया गया कि भू–उपयोग परिवर्तन हेतु विस्तृत प्रस्ताव बनाकर शासन को प्रेषित कर दिया जाय।

(कार्यवाही श्री बी0एस0नेगी, अवर अभियंता)

विषय क्रमांक ख(4) :- सम्पत्ति सं0 108 सुभाष रोड पर पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प/एल0पी0जी0 स्टोरेज के निर्माण की अनुमति दिये जाने विषयक।

उक्त प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण उपाध्यक्ष,जिलाधिकारी,अपरजिलाधिकारी,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व अग्नि शमन अधिकारी के साथ स्थल का निरीक्षण कर लें कि इस स्थल पर पेट्रोल पम्प/डीजल/स्टोरेज/एल0पी0जी0 गोदाम के निर्माण की अनुमति दिये जाने से यातायात अवरूद्व तो नहीं होगा और निकटवर्ती स्कूलो व आबादी के परिपेक्ष्य में वांछित अनुमति दी जानी उचित होगी। स्थल निरीक्षण के पश्चात् प्रकरण को अगली बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही श्री बी0एस0नेगी, अवर अभियंता)

विषय क्रमांक ख(5) :- ग्राम मालसी के खसरा न0 275 में मानचित्र स्वीकृत किये जाने विषयक।

प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि आवेदक के भू–खण्ड के साथ खाली भूमि लगती है। अतः प्रश्नगत स्थल का ले–आउट स्वीकृत कराने के पश्चात् मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही श्री बी0एस0नेगी, अवर अभियंता)

विषय क्रमांक ख(6) :- ग्राम सभा चक डांडा लखोंड के खसरा न0 105, 109, 126, 127, 131, 132, तथा 133 पर दून ब्लोसम एजुकेशन सोसायटी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विस्तृत विचार विमर्श के दौरान निर्णय लिया गया कि यदि प्रस्तावित स्थल के आसपास भी मानचित्र प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किये गये हो तो सर्वे कराकर बोर्ड की अगली बैठक में पुनः विस्तृत प्रस्ताव रखा जाये, जिससे आसपास की कुल डिप्रैस्ड लैण्ड सम्बन्धित क्षेत्रफल का विवरण देते हुए उसमें इस सोसाइटी की कुल कितनी भूमि होगी का विवरण भी प्रस्तुत किया जाये। बोर्ड बैठक में इसी के अनुरूप पुनः प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही श्री बी0एस0नेगी, अवर अभियंता)

विषय क्रमांक ख (7) :– दून माल योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

शासनादेश सं0 458/श0वि0–आ0–03–90 (आवास)/02 दिनांक 24.03.2004 द्वारा लगभग 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र मे एक होटल साइट तथा लगभग 6000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में एक मल्टीप्लैक्स साइट का नीलाम किये जाने का ही प्राविधान है। रियल इस्टेट के परामर्शदाता मै0 सी0बी0 रिचर्ड्स ऐलीस ने अपने परामर्श में होटल साइट न बनाये जाने की संस्तुति की है। उनके अनुसार साइट पर लगभग 3500 वर्ग मीटर में मल्टीप्लैक्स व लगभग 7500 वर्ग मीटर में रिटेल माल/व्यवसायिक माल का निर्माण प्रथम चरण के अन्तर्गत किये जाने का परामर्श दिया गया है, और इसी के अनुरूप Expression of Interest आमंत्रित किये गये। अतः इसी के अनुसार नीलामी की कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

विस्तृत विचार विमर्श के दौरान निर्णय लिया गया कि उक्त के क्रम मे प्रस्ताव शासन को दिशा निर्देश हेतु प्रेषित कर दिया जाय।

(कार्यवाही अधिशासी अभियंता)

विषय क्रमांक ख (8) :– आई0एस0बी0टी0 योजना में जनपदीय बसों को प्रवेश शुल्क से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि अनुबन्ध के अनुसार ही कार्यवाही की जाय। अनुबन्ध के अनुसार जनपदीय बसों को प्रवेश शुल्क से प्राधिकरण स्तर से मुक्त नहीं किया जा सकता है।

(कार्यवाही अधिशासी अभियंता)

विषय कमांकः–ख (9) ग्राम माजरा के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट नगर विस्तार हेतु प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में ।

विस्तृत विचार विमर्श के दौरान यह निर्णय लिया गया कि कालसेन्टर हेतु जो भूमि मुक्त की गयी है उस भूमि में कालसेन्टर हेतु आवेदक द्वारा आवेदन किया गया है अथवा नहीं और यदि प्राधिकरण द्वारा कालसेन्टर का मानचित्र स्वीकृत कर दिया गया है तो क्या आवेदक द्वारा प्रश्नगत स्थल पर निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है अथवा नहीं । इसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर प्रस्ताव अगली बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही सचिव)

विषय कमांकः–ख (10) मसूरी क्षेत्र के सम्बन्ध में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की दिनांक 2.6.04 को हुई बैठक में मसूरी स्थित भवनों के प्लिंथ एरिया में 10 प्रतिशत की अतिरिक्त आच्छादन वृद्वि के साथ निर्माण के अनुमोदन को भी समाप्त करने के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश व भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आदेश दिनांक 31.3.2000 व स्पष्टीकरण दिनांक 28.2.01 के परिपेक्ष्य में स्पष्ट विवरण तैयार कर आगामी बोर्ड बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही श्री श्याममोहन शर्माअवर अभियंता)

विषय कमांकः–ख (11) सम्पत्ति सं0 79/14 कर्जन रोड पर श्री बी0 सी0 चन्दोला द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र सं0 2543/03–04 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

श्री बी0 सी0 चन्दोला द्वारा सम्पत्ति सं0 79/14 कर्जन रोड के समीप भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया, जिसका भूउपयोग महायोजना में शासकीय तथा अर्धशासकीय कार्यालय प्रयोजनार्थ प्रदर्शित है व जिस कारण उक्त

स्थल पर भवन मानचित्र स्वीकृत नही किया गया। परन्तु स्थल के आस –पास बहुत से आवासीय भवन विद्यमान है।

उक्त प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत स्थल का परीक्षण कर लिया जाय, यदि आस–पास आवासीय भवन निर्मित हों तो मानचित्र स्वीकृत कर दिया जाय।

(कार्यवाही श्री बी0एस0नेगी, अवर अभियंता)

विषय कमांकः–ख (12) मानचित्र संख्या 722/2004–2005, श्री अमित अग्रवाल, सचिव, आई0एम0एस0 सोसाइटी द्वारा ग्राम किरसाली में खसरा नं0 41, 42, 43, 44 पर यूनिसन वर्ल्ड स्कूल की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

ग्राम किरसाली में खसरा नं0 44 ख, 42 क, 43 क, 44 , 41 क, 41 ख, नया नम्बर, जिसके पुराने नं0 42,43,51, 52, 54, 55, 56, 59,60, 61, 62, 64, 66, 69, 70, 71, 22, 74 75, 76, 134, 135, 49, 87 से 123, 124 एवं 125 कुल क्षेत्रफल 4.1434 है0 में श्री अमित अग्रवाल, सचिव, आई0एम0एस0 सोसाइटी द्वारा स्कूल निर्माण की स्वीकृति हेतु मानचित्र जमा किया गया है। प्रश्नगत खसरा नम्बरों का भूउपयोग देहरादून नगर महायोजना में कृषि प्रदर्शित है। (प्रश्नगत स्थल पूर्व में आदित्य केमिकल परिसर के नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान में बन्द हो चुकी है)। कृषि भू–उपयोग के अन्तर्गत महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार स्कूल निर्माण की अनुमति दिये जाने से पूर्व प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक है ।

उक्त प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि पहले मानचित्र का पूर्ण तकनीकी परीक्षण कर लिया जाय व इसके पश्चात् प्रस्ताव को अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही श्री बी0एस0नेगी, अवर अभियंता)

विषय कमांक :–ख (13) भूखण्ड का क्षेत्रफल अनुमन्य सीमा से कम होने पर आवासीय मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

वर्तमान में प्रभावी भवन उपविधियों के अनुसार आवासीय आर–3 में भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 125 वर्गमीटर तथा आवासीय आर–2 में 100 वर्गमीटर आवश्यक है। परन्तु जब आवेदकों द्वारा भूखण्ड क्रय किये गये थे तत्समय प्रभावी भवन उपविधियों के अनुसार भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 40 वर्गमीटर अनुमन्य था।

वर्तमान में अनेक आवेदको द्वारा मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जा रहे है जिनका क्षेत्रफल 125 व 100 वर्गमीटर से कम है।

उक्त प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के कुल कितने प्रकरण प्राधिकरण में लम्बित है उनकी पूर्ण सूची बनाकर प्रस्तुत की जाय ताकि एकसाथ निर्णय लिया जा सके।

(कार्यवाही समस्त अवर अभियंता एवं समस्त सहायक अभियंता)

विषय कमांकः–ख (14) प्राधिकरण द्वारा निर्मित एवं विकसित पटेल पार्क (घंटाघर के निकट) वार्षिक अनुरक्षण के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण द्वारा घण्टाघर के निकट पटेल पार्क का जीर्णोद्धार कर पुनः विकसित करने का कार्य मै0 ग्रोटक से अनुबन्ध सं020/ईई/02–03 के द्वारा पूर्ण कराया गया था। फर्म द्वारा दिनांक–30–6–2003 को कार्य पूर्णकर दिया गया था । अनुबन्ध की शर्त के अनुसार उक्त फर्म को ही एक वर्ष तक (30–6–2004) इस पार्क का अनुरक्षण भी किया जाना था । अनुबन्ध में अनुरक्षण के मद में दर रू0 19,400/– प्रतिमाह स्वीकृत थी। अनुरक्षण के कार्य में फाउण्टेन, फाल, उद्यानीकरण व विद्युतीकरण के कार्य का रखरखाव शामिल था।

उक्त पटेल पार्क देहरादून शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले घण्टाघर पर स्थित है जो पर्यटकों के आर्कषण का केन्द्र भी है। अतः इसकी सुन्दरता बनाये रखने के लिए इसका अनुरक्षण भी आवश्यक है । चूँकि प्राधिकरण में इस तरह के विकसित पार्क की सुन्दरता बनाये रखने के लिये दक्ष स्टाफ की कमी है । अतः प्रस्ताव है कि नगर निगम के इस पार्क को जो प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है का रखरखाव पूर्व में इसी फर्म की अनुरक्षण हेतु स्वीकृत दरों पर आगामी एक वर्ष (30.06.2005) तक कराये जाने हेतु विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है ।

उक्त प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के दौरान निर्णय लिया गया कि उक्त पार्क के अनुरक्षण की मद 19,400/– रूपये प्रतिमाह अधिक मालूम होती है। अतः मै0 ग्रोटक को छः महीने के लिए इस दर पर अतिरिक्त समय के लिए अनुमति दे दी जाय तथा इसके पश्चात् केवल आवश्यक व्यय से सम्बन्धित कार्य हेतु ही पार्क के रखरखाव के लिए रि–टेण्डरिंग करा ली जाय।

(कार्यवाही श्री अजय माथुर, अवर अभियंता)

विषय कमांकः–ख (15) ग्राम गल्जवाड़ी में स्थित खसरा नम्बरान 83 मि0, 169/2मि0, 337/6, 342, 347, 355/1, 366, 391मि, 566/1, 569, 607, 610, 633, 674/4, 994, 995/1, 997, 1109,1168मि0,1170मि0, 1181 व 1187/2 के भू–उपयोग वन को आवासीय में किये जाने के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव को चर्चा के दौरान अस्वीकृत किया गया।

विषय क्रमांक :–ख (16) प्राधिकरण में मनमाने ढंग से या बगैर नक्शा पास कराये या नक्शा पास होने के बाद भी नक्शे के विरूद्ध निर्माण कार्य किये जाने से संबंधित 9 हजार से अधिक वादों के निस्तारण हेतु अतिरिक्त सक्षम अधिकारियों की तैनाती के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण में उ0प्र0 (उत्तरांचल) शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) के अन्तर्गत वर्तमान में 9 हजार से अधिक वाद निस्तारण हेतु लम्बित हैं और इनके निस्तारण हेतु वर्तमान में प्राधिकरण में सचिव के अतिरिक्त अन्य सक्षम अधिकारी उपलब्ध नहीं है। प्राधिकरण के सचिव के पास वर्तमान में दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के सचिव का कार्यभार भी है। इस प्राधिकरण के सचिव द्वारा अन्य आवश्यक विभिन्न कार्यो की व्यस्तता के कारण लम्बित समस्त वादों का निस्तारण भी शीघ्रता से किया जाना संभव नहीं है। माननीय लोकायुक्त, उत्तरांचल द्वारा ऐसे लम्बित प्रकरणों की सूची प्राप्त करने के उपरान्त उनके द्वारा दिनांक 21.8.2004 को पारित आदेश में भी उल्लेख किया गया है कि "इतने बड़े कार्य को करने के लिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में केवल एक नियत अधिकारी है और एक अधिकारी द्वारा सारे मामले की सुनवाई करना संभव नहीं है। आवश्यकता यह है कि जिले को क्षेत्र में बांटकर हर क्षेत्र मे एक नियत अधिकारी नियुक्त किया जाय, जिससे अनाधिकृत निर्माण पर नियन्त्रण किया जा सके।" उ0प्र0 (उत्तरांचल) शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) के अनुसार ऐसे प्रकरणों का निस्तारण उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्राधिकरण के किसी अधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है। अतः लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के उद्देश्य से निम्न प्रकार से कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(1) प्राधिकरण में डिप्टी कलेक्टर स्तर के कम से कम दो अधिकारियों को संयुक्त सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति पर तैनाती हेतु शासन को आवश्यक सन्दर्भ किया जाना ।

(2) सेवारत अधिकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में एक निश्चित अवधि के लिये सेवा निवृत डिप्टी कलेक्टर/तहसीदारों में से कम से कम दो अधिकारियों को उनके सेवा निवृति के समय देय वेतन व भत्तों पर अथवा प्राधिकरण बोर्ड द्वारा नियत उचित एक मुश्त धनराशि के भुगतान पर तैनात करने हेतु सचिव आवास/उपाध्यक्ष को अधिकृत किए जाने हेतु शासन को आवश्यक सन्दर्भ किया जाना।

उक्त बिन्दुओ पर निर्णय लिया गया कि आवश्यक प्रस्ताव बनाकर शासन को सन्दर्भित कर दिया जाय।

(कार्यवाही सचिव)

विषय कमांक ख(17) :– ग्राम अस्थल के पुराने खसरा नम्बर 50, 52, 46 एम (नये खसरा नम्बर 61घ, 63घ, 65क, 69, 72, 73घ) में प्रस्तावित मन्दिर एवं मोनेस्टरी के भवन मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

तर्वलिंग एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री रिनचेन थियानडुप सादतसंग द्वारा ग्राम अस्थल के पुराने खसरा न0 50, 52, 46 एम (नये नम्बर 61घ, 63घ, 65क, 69, 72, 73घ) पर प्रस्तावित मन्दिर एवं मोनेस्टरी के निर्माण सम्बन्धी मानचित्र प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु दिनांक 26.04.2002 को प्रस्तुत हुआ। उक्त खसरा नम्बरों की जॉच भू–उपयोग सम्बन्धी कार्य सहयुक्त नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल, देहरादून से कराई गयी। सहयुक्त नियोजक के पत्र सं0 330/गढवाल म0दे0वि0प्रा0/तकनीकी 2002 दिनांक 13.06.2002 के अनुसार उक्त खसरा नम्बर वन क्षेत्र से घिरे हैं तथा महायोजना में कृषि क्षेत्रों के अन्तर्गत आरक्षित हैं। इस असम्बद्ध पृथक क्षेत्र में निर्माण की अनुमति दिया जाना उचित नही होगा। इसी आधार पर उक्त पत्रावली पत्र सं0 1002/मा0सं0 243/02–03 दिनांक 26.07.2002 को अस्वीकृत कर दी गयी।

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि इस तरह के कुल कितने प्रकरण पूर्व में स्वीकृत किये गये है, पूर्ण विवरण सहित प्रस्ताव अगली बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही श्री बी0एस0नेगी अवर अभियंता)

विषय कमांकः–ख (18) श्री एन0एस0 रावत, वैयक्तिक सहायक, आयुक्त/अध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को पूर्व स्वीकृत रू0 650/– के स्थान पर रू0 1000/– प्रतिमाह किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 26.6.2004 में लिये गये निर्णयानुसार आयुक्त/अध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के वैयक्तिक सहायक श्री एन0एस0रावत का वर्तमान में मूल वेतनमान रू0 6500–10500 है। शासनादेश संख्या सा–1–374/दस–99–204/99 वित्त सामान्य अनुभाग–1 के प्राविधानों के अनुसार उक्त वेतनमान के कर्मियों को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाने पर यदि वे अपनी पूर्व तैनाती के स्टेशन से अन्य स्टेशन पर प्रतिनियुक्ति में तैनात किये जाते हैं तो उन्हें मूल वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु अधिकतम रू0 1000/–प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता अनुमन्य होगा। श्री एन0एस0रावत द्वारा रू0 500/– के स्थान पर रू0 1000/– मानदेय के रूप में मांग की गयी है, और उन्हें प्राधिकरण बोर्ड की गत बैठक में रू0 650/– प्रतिमाह का मानदेय स्वीकृत कर दिया गया था।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की 61वीं बैठक में स्वीकृत दर रूपये 650/– प्रतिमाह पर ही मानदेय का भुगतान किया जाय।

(कार्यवाही उपसचिव/अनुसचिव)

विषय कमांकः–ख (19) श्रीमती अनुजा सिंह, अनुसचिव (जनसंपर्क) , म0दे0वि0प्रा0 के निःसंवर्गीय पद को प्रशासनिक संवर्ग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में

श्रीमती अनुजा सिंह की नियुक्ति मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में अनुसचिव (जनसंपर्क) निःसंवर्गीय के पद पर उ0प्र0 सरकारी सेवकों की मृतक आश्रित सेवा नियमावली 1974 के अधीन मृतक आश्रित के रूप में शासनादेश संख्या 3391/9–आ–5–99–91ई/99 दिनांक 29.9.99 के द्वारा हुई थी। उक्त के कम में श्रीमती सिंह ने दिनांक 30.9.99 को कार्यभार ग्रहण कर लिया गया था।

श्रीमती सिंह द्वारा दिनांक 21.8.2004 को एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है जिसमें इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है कि उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 3880/9–आ0–5–2000–70ई/98 दिनांक 10.10.2000 एवं 3808/नौ–आ0–5– 2000–70ई/98 दिनांक 6.11.2000 द्वारा उपरोक्त अनुसचिव (जनसंपर्क) पद को अनेक अन्य पदों सहित पर्वतीय संवर्ग में गठित करने की स्वीकृति प्रदान की थी। अतः इनके अनुसार अब उक्त अनुसचिव (जनसंपर्क) निःसंवर्गीय न होकर विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा में प्रशासनिक संवर्ग का नियमित पद है ।

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि उक्त शासनादेश का सन्दर्भ देते हुए प्रस्ताव सचिव, आवास को प्रेषित किया जाय।

(कार्यवाही सचिव)

अनुपूरक विषय कमांक 1 :– खसरा नम्बर 969 बालावाला में स्कूल निर्माण हेतु प्रश्नगत भवन मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

1– प्रस्तावित स्कूल मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है जिसके कम में कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया है।

2– प्राइमरी स्कूल के सम्बद्ध मार्ग की चौडाई 12 मी0 होनी चाहिये जो स्थल पर 5.49 मीटर है।

3– एफ0 ए0 आर0:– 0.30 के सापेक्ष 0.16 प्रदर्शित है।

4– पार्किंग :– पार्किंग क्षे0 न्यूनतम 10 प्रतिशत छोडा गया है।

प्रस्ताव मे विचार विमर्श के दौरान सन्दर्भित कमियों को दूर कराकर Supporting Population के विवरण के साथ पुनः प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही श्री बी0एस0नेगी,अवर अभियंता)

अनुपूरक विषय कमांक 2 :– मसूरी डायवर्जन रोड मौजा किशन नगर में पेट्रोल पम्प की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

यहॉ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि:–

1.स्थल महायोजना मार्ग डायवर्जन रोड के मोड़ पर पुल से लगा हुआ है
2.जो भविष्य में होने वाले पुल विस्तारीकरण सीमा तथा सड़क विस्तार सीमा केक अर्न्तगत आता है तथा यातायात में भी बाधा सम्भावित है।
3.शासनादेश सं0 1858 /श0वि0/आ0–03–135(आ0)/03 श0/आ0 विभाग, देहरादून दिनांक 24.07.2003 में महायोजना में निम्न भू–उपयोग से उच्च भू–उपयोग (यातायात) में भू–उपयोग परिवर्तन पूर्णतया प्रतिबन्धित है।

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि यदि किसी कारगिल शहीद को पेट्रोल पम्प निर्माण में मानकों में छूट दी गयी है तो इन्हें भी छूट दे दी जाये, अन्यथा मानको के अनुरूप ही कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही श्री अजय माथुर, अवर अभियंता)

अनुपूरक विषयक कमांक 3 – उत्तराचंल एकता एन्कलेव विकास एवं कल्याण समिति सोसाईटी एरिया सुभाष नगर के ग्राम भारूवाला ग्रान्ट में खसरा नम्बर 571 व 572 को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि परीक्षण हेतु प्रकरण प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को प्रेषित कर दिया जाय और उनकी राय प्राप्त होने पर विस्तृत प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही श्री देवेन्द्र चौधरी,सहायक अभियंता)

अनुपूरक विषय कमांक 4 :– भवन मानचित्र संख्या 903/04–05 मौजा बद्रीपुर एवं मानचित्र संख्या 1065/04–05 ग्राम माजरा की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्तावो पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि चूंकि आसपास पूर्व में भवन निर्मित है तथा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत है। अतः इन मानचित्रो को भी उन्हीं के अनुरूप स्वीकृत कर दिया जाय।

(कार्यवाही श्री अजय माथुर अवरअभियंता)

अनुपूरक विषय कमांक 5 :–कृषि हरित क्षेत्र वुडलैण्ड स्कूल के मानचित्र संख्या 889/03–04 में स्कूल स्थापना के न्यूनतम आवश्यक मार्गदर्शिका में अनुमोदित न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल मे छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि पुनः परीक्षण कर उपविधियों के अनुसार कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही श्री अजय माथुर, अवर अभियंता)

27/9/04

(मनीषा पंवार)
जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष
म0दे0वि0प्रा0देहरादून।

(सुभाष कुमार)
आयुक्त/अध्यक्ष
म0दे0वि0प्रा0देहरादून।